और यह इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी सहभागी संगठनों के साथ सहयोग, समन्वय की गतिविधियों और कार्यक्रमों की जांच करेगा । और एक स्वीकार्य प्रक्रिया के जरिए पक्षकारों की सिफारिश करेगा ।

कार्यदल व्यापार,आर्थिक,वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग पर विद्यमान भारत रूसी अन्त-सरकारी आयोग के तहत कार्य करेगा ।

प्रत्येक पक्षकार कार्यदल के एक सह अध्यक्ष को नामित करेगा और रूस सहयोग के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का समेकन करेगा ।

व्यावहारिक कार्य एक कार्य योजना के आधार पर किया जायेगा जिसके सहयोग के कार्यक्रमों के अनुसार दो वर्ष के अवधि के लिए तैयार किया जायेगा ।

अनुच्छेद- सात

बैद्धिक सम्पत्ति अधिकारों द्वारा सुरक्षित न की गई वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना जो वर्तमान करार के अंतर्गत सहयोग के परिणामस्वरूप संचय हो सकती है जिसमें वह सूचना शामिल नहीं है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा या वाणिज्यियक तथा औद्योगिक निहितार्थो को ध्यान में रखते हुए खुलासा नहीं किया जा सकता, के बारे में जब तक दोनों देश सहमत न हो जाए, सहभागी संस्थाओं और संगठनों की सामान्य प्रक्रियाओं के अनुसार सामान्य चैनलों के जरिए किया जा सकता है ।

सहयोग की वित्तीय शर्ते संयुक्ति परियोजाओं का कार्यान्वयन प्रत्येक मामलें में पक्षकारों द्वारा विचारार्थ विषय होगा ।

अनुच्छेद- आठ

वर्तमान करार से अन्य द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संधियों और करारों, जिसमें से एक पक्षकार हों के अन्तर्गत पक्षकारों के अधिकार एंव शर्ते प्रभावित नहीं होंगी ।

अनुच्छेद- नौ

यह करार इस पर हस्ताक्षर करने के तारीख से लागू हो जायेगा और पांच वर्ष तक प्रभावी रहेगा और अगले पांच वर्ष के लिए बढाया जा सकता है बशर्ते कि दोनों में से कोई भी पक्षकार अन्य पक्षकार को करार को समाप्त करने की तारीख से कम से कम छह मास पहले सूचित न करे ।

इस करार की समाप्ति से वर्तमान करार के आधार पर उन संधियों और करार के अंतर्गत उन गतिविधियों को पूरा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो इसकी समाप्ति की तारीख तक पूरे न हुए हों ।

अनुच्छेद- दस

वर्तमान करार की व्याख्या या अप्रयोग से संबंधित विवादों, जिन्हें समन्वय के लिए उत्तरदायी एजेंसियों सहयोग संगठन के बीच सहमति की भावना से हल नहीं किया जा सकता है, को पक्षकारों के बीच परामर्श करके हल किया जायेगा।

अनुच्छेद- ग्यारह

दोनों पक्षकारों की लिखित परास्परिक सहमति से इस करार को किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है ।

मास्को में 30,जून,1994 को हिन्दी, रूसी और अंगेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में सम्पन्न हुआ जिसका प्रत्येक पाठ समान रूप से प्रमाणिक है । मतभेद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगी ।

भावी गणराज्य की सरकार की ओर से रूस संघ की सरकार की और से

News-item captioned "Pollution Board and Ministry at Loggerheads"

4489. SHRI S.M. KRISHNA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item captioned "Pollution Board and Ministry at loggerheads", appearing in "The Hindustan Times", dated the 12th March, 1997; and

(b) if so, the reaction of. Government therto?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) and (b) Yes, Sir. The Technical and Scientific Officers 'Association of Central Pollution Control Board (CPCB) have submitted representations to-the Ministry seeking introduction of Flexible Complementing Scheme (FCS) in the CPCB. The Ministry of Environment and Forests have taken up the matter regarding extending this scheme to the CPCB with the Department of Personnel and Training.

दिल्ली में दो-पहिया और तीन-पहिया वाहनों पर प्रतिबंध

4490.**श्री रामजीलाल :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में दो-पहिया तथा तीन-पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी निर्णय पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार इन वाहनों पर प्रतिबंध लगाने से